

अति तत्काल

फा.सं. ए-22012/07(I)/2012-सीएलएस-आई

भारत सरकार

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग,
नई दिल्ली, दिनांकित 28 मार्च 2013

कार्यालय ज्ञापन

विषय:-केंद्रीय श्रम सेवा के अधिकारियों के विभिन्न ग्रेड की पोस्टिंग/स्थानांतरण - नीतिगत दिशानिर्देश के संबंध में।

अधोहस्ताक्षरी को इस मंत्रालय की कार्यालय ज्ञापन संख्या ए.12034/1/87-सीएलएस-1 दिनांक 14/04/1988 को संदर्भ में लेने का निर्देश दिया जाता है, जिसमें विभिन्न मामलों में संशोधित नीतिगत दिशा-निर्देश को जारी करने और केंद्रीय श्रम सेवा के विभिन्न ग्रेड के पोस्टिंग/स्थानांतरण से संबंधित सामान्य नीती शामिल है:

(i) सीएलएस के तीन धाराओं के बीच सीएलएस अधिकारियों का अंतर्परिवर्तन/आवर्तन, अर्थात् सीएलसी (सी) की अध्यक्षता में केंद्रीय औद्योगिक संबंध मशीनरी (सीआईआरएम), डीजीएलडब्लू और केंद्रीय व्यवसायिक संघ के तहत श्रम कल्याण खंड (फैक्टरी साइड) में होगा। तदनुसार नीचे वर्णित पद धारण करने वाले अधिकारियों को तीन धाराओं के बीच क्रमबद्ध किया जाएगा:

- क) सहायक श्रम आयुक्त (के.), सहायक कल्याण आयुक्त (के.), सहायक श्रम कल्याण आयुक्त (के.) और सहायक निदेशक;
- ख) क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (के.), उप कल्याण आयुक्त (के.) और उप श्रम कल्याण आयुक्त (के.);
- ग) उप मुख्य श्रम आयुक्त (के.), कल्याण आयुक्त (के.), श्रम. कल्याण आयुक्त (के.) और निदेशक (प्रशिक्षण)

- (ii) केंद्रीय श्रम सेवा के अधिकारियों का तबादला और पोस्टिंग भारत के किसी भी हिस्से में किया जा सकता है। पोस्टिंग केन्द्रीय श्रम सेवा को सौंपे गए सभी विभिन्न प्रकार के कार्य हेतु व्यक्तिगत अधिकारियों का खुलासा करने के लिए कथित बातों को ध्यान में रखकर की जाएगी।
- (iii) पोस्ट/स्थापना में हर सीएलएस अधिकारी के लिए अधिकतम कार्यकाल एक स्थान पर 04 साल और 08 साल के लिए किया जाएगा। इस कार्यकाल पोस्टिंग के लिए कोई अपवाद केवल सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के साथ प्रशासनिक मजबूरियों की वजह से असाधारण परिस्थितियों में किया जा सकता है।
- (iv) सीएलएस में सीधी भर्ती के रूप में नियुक्त हर अधिकारी को अपनी सेवा अवधि के दौरान केन्द्रीय व्यावसायिक पक्ष (कारखाना पक्ष) में कम से कम दो अनिवार्य कार्यकाल पोस्टिंग (कुल 08 वर्ष) पूरा करना होगा। वे अधिकारी जिन्होंने एलडओ ग्रेड (सी)/डब्ल्यूए (सी) के सहायक पद से पदोन्नति प्राप्त की है, उन्हें सेवा अवधि के दौरान केंद्रीय व्यावसायिक पक्ष (कारखाना पक्ष) में कम से कम एक अनिवार्य कार्यकाल पोस्टिंग (कुल 04 वर्ष) पूरा करना होगा।
- (v) यदि इस तरह का लिखित अनुरोध प्राप्त होता है तो ऐसे सीएलएस अधिकारी जो एक वर्ष के भीतर सेवानिवृत्ति होने वाले हैं उन सीएलएस अधिकारियों को आम तौर पर परेशान नहीं किया जाएगा।
- (vi) ट्रांसफर/पोस्टिंग के आदेश सामान्य रूप से शैक्षणिक सत्र के प्रारंभ होने से पहले जारी किया जाएगा लेकिन जनता के हित में, प्रशासनिक जरूरतों के कारण असाधारण मामलों में किसी भी समय किया जा सकता है।
- (vii) वास्तविक मामलों में, सीएलएस अधिकारी अपने पसंदीदा स्थान पर पोस्टिंग के लिए अनुरोध कर सकते हैं लेकिन उपरोक्त आचरण नियमों के तहत निर्धारित माध्यम से किया जाना चाहिए। ऐसे मामले में, अधिकारी स्थानान्तरण स्वीकृति/डीए, आदि प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं होंगे।
- (viii) सीसीएस नियमावली, 1964 के नियम 20 में बताए गए अपनी पसंदीदा पोस्टिंग के लिए आगे के अनुरोध हेतु कोई सीएलएस अधिकारी राजनीतिक दबाव डालने का प्रयास

नहीं करेगा जो यह निर्धारित करता है कि "कोई सरकारी कर्मचारी सरकार के तहत अपनी सेवा से संबंधित मामलों के संबंध में अपने हित के लिए किसी भी उच्चाधिकारी पर कोई भी राजनीतिक या अन्य बाहरी प्रभाव डालने का प्रयास नहीं करेगा"। उक्त नियम का कोई भी उल्लंघन होने पर इसे गंभीरता से लिया जायेगा और अनुशासनात्मक कार्रवाई सहित सख्त कार्रवाई आचरण नियम के प्रावधानों के तहत ऐसे दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

(ix) स्थानान्तरण/पोस्टिंग का फैसला करते समय, नौकरी की आवश्यकता की तरह प्रशासनिक आवश्यकताएं, कौशल और अनुभव और सेवारत अधिकारियों के खिलाफ शिकायत, सतर्कता मामलों को भी ध्यान में रखा जाएगा।

(x) स्थानान्तरण समिति (टीसी) में मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) और महानिदेशक (श्रम कल्याण), सीएलएस विभाग के प्रभारी संयुक्त सचिव/अपर सचिव शामिल होंगे। समिति अधिकारियों से प्राप्त अभ्यावेदन/अनुरोधों पर विचार करने के बाद और उपरोक्त दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखते हुए अधिकारियों की स्थानान्तरण/पोस्टिंग की सिफारिस करेगा, यदि कोई हो, और अनुमोदन के लिए सक्षम प्राधिकारी को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करेगा।

(xi) स्थानान्तरण समिति की सिफारिशों को श्रम और रोजगार के माननीय मंत्री का बशर्ते अनुमोदन उन अधिकारी को प्राप्त होगा जो सक्षम अधिकारी हैं।

5. उपरोक्त निर्देश केंद्रीय श्रम सेवा और सभी मंत्रालयों/विभागों/संगठनों के सभी अधिकारियों को भेजा गया है जहाँ सीएलएस अधिकारी की नियुक्ति सख्त अनुपालन और उनकी सूचना प्राप्त करने के लिए की गई है।

यह माननीय एलईएम के अनुमोदन से जारी होता है।

(चंद्र प्रकाश)
भारत सरकार के संयुक्त सचिव
टेली-फैक्स: 23718635

प्रति

सभी केन्द्रीय श्रम सेवा के अधिकारी

सूचना और आवश्यक कार्रवाई के लिए प्रतिलिपि:

1. अपर सचिव एवं डीजीएलडब्ल्यू, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
2. मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय), नई दिल्ली
3. अध्यक्ष एवं महानिदेशक, आयुध निर्माणी बोर्ड, कोलकाता
4. शहरी विकास मंत्रालय, मुद्रण निदेशालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली
5. शहरी विकास मंत्रालय, महानिदेशक (निर्माण), निर्माण भवन, नई दिल्ली
6. श्रम कल्याण आयुक्त (केन्द्रीय), रक्षा अनुसंधान विकास संगठन, डीआरडीओ भवन, नई दिल्ली
7. श्रम कल्याण आयुक्त (केन्द्रीय), नागरिक कार्मिक निदेशालय रक्षा मंत्रालय (नौसेना), 'ए' ब्लॉक, नई दिल्ली
8. श्रम कल्याण आयुक्त (केन्द्रीय), मास्टर जनरल आयुध शाखा, रक्षा मंत्रालय (सेना), सेना भवन, नई दिल्ली
9. श्रम कल्याण आयुक्त (केन्द्रीय), महानिदेशक गुणवत्ता आश्वासन, रक्षा मंत्रालय, जी ब्लॉक, नई दिल्ली
10. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (सेंट्रल अस्पताल) निर्माण भवन, नई दिल्ली
11. कृषि मंत्रालय, पशुपालन एवं डेयरी विभाग (ओएमएस), कृषि भवन, नई दिल्ली
12. विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, प्रौद्योगिकी भवन, महरौली रोड नई दिल्ली
13. महासचिव, सीएलएस ऑफिसर्स एसोसिएशन, कमरा नं 608, श्रम शक्ति भवन, नई दिल्ली

इनकी जानकारी के लिए भी प्रतिलिपि:

- (i) माननीय एलईएम के पीएस
- (ii) माननीय एमओएस (एलएंडई) के पीएस
- (iii) सचिव (एलएंडई) के पीएसओ

प्रति

सं. ए-12034/1/87/सीएलएस-आई

भारत सरकार

श्रम मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 14 अप्रैल, 1988

कार्यालय ज्ञापन

विषय:-केन्द्रीय श्रम सेवा के अधिकारियों की विभिन्न श्रेणियों की पोस्टिंग/स्थानांतरण-सामान्य नीति के संबंध में।

अधोहस्ताक्षरी द्वारा यह निर्देश दिया जाता है कि पोस्टिंग और श्रम अधिकारियों और वरिष्ठ श्रम अधिकारियों का तबादला श्रम अधिकारी (केंद्रीय व्यवसायिक संघ) भर्ती एवं सेवा नियम की शर्त, 1951 और कार्यालय ज्ञापन संख्या 12034/1/83-पीएलओ दिनांक 26 अक्टूबर 1983 के 10 के तहत किया गया। उपरोक्त निर्देश का खंडन केंद्रीय श्रम सेवा (सीएलएस) के गठन के परिमाणस्वरूप किया गया। केंद्रीय श्रम सेवा संचालन नियम 03-02-87 को अधिसूचित किया गया।

2. केंद्रीय श्रम सेवा नियम के तहत निम्नलिखित पदों के अधिकारियों के अंतर्विनिमेयता पर विचार किया जाता है:

- (i) सहायक श्रम आयुक्त (सी), श्रम अधिकारी और सहायक कल्याण आयुक्त;
- (ii) क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (सी), वरिष्ठ श्रम अधिकारी और उप निदेशक (प्रशिक्षण), और
- (iii) उप सलाहकार (एलडब्ल्यू), उप मुख्य श्रम आयुक्त (सी), कल्याण आयुक्त और निदेशक (प्रशिक्षण)।

इसलिए विभिन्न मंत्रालयों और विभागों को अभी तक सौंपे गए अंतर-विभागीय स्थानान्तरण के अधिकारों को वापस लेने का निर्णय लिया गया है। यह अधिकार अब सीएलएस की केंद्रीकृत

प्रशासन के हित में श्रम मंत्रालय द्वारा, और केंद्रीय श्रम सेवा के निर्वाचक संघ के सदस्य के अभी तक के भिन्न पहलू सजातीय कैरियर प्रबंधन को अभ्यास में लाया जाएगा।

3. सभी मंत्रालयों/विभागों को अब से उनके विभाग में एक विशेष प्रतिष्ठान में सेवा के चार साल पूरा करने वाले अधिकारियों के नामों को सूचित करने के लिए सलाह दी जाती है। संबंधित विभाग, अपने प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत प्रतिष्ठानों में उनके अगले पोस्टिंग स्थान के लिए सुझाव दे सकते हैं।

4. श्रम सेवा के अधिकारियों का तबादला और पोस्टिंग भारत के किसी भी हिस्से में किया जा सकता है। पोस्टिंग केन्द्रीय श्रम सेवा को सौंपे गए सभी विभिन्न प्रकार के कार्य हेतु व्यक्तिगत अधिकारियों का खुलासा करने के लिए कथित बातों को ध्यान में रखकर की जाएगी। आम तौर पर, कोई अधिकारी अधिक से अधिक 8 साल के लिए और चार से अधिक वर्षों के लिए एक ही स्थान पर एक ही प्रतिष्ठान में नियुक्त नहीं किया जाएगा।

स्थानान्तरण सामान्य रूप से शैक्षणिक सत्र के बीच में नहीं किया जाएगा, लेकिन लोक सेवा की अनिवार्यता के कारण आदेश दिया जा सकता है पोस्टिंग की अवधि जैसे कि अधिकारी सेवानिवृत्ति के करीब होने पर, योग्य मामलों में बढ़ाई जा सकती है किसी विशेष स्थान के लिए किसी भी अधिकारी के प्रतिपादन के लिए अन्य कारणों पर योग्यता के आधार पर केवल विचार किया जाएगा, बल्कि हमेशा सुव्यवस्थित रूप से संवर्ग प्रबंधन के सिद्धांतों के अधीन किया जाएगा।

5. इस कार्यालय ज्ञापन की प्राप्ति सहजतापूर्वक स्वीकार की जा सकती है।

ह./-

(एच. घोष)

भारत सरकार के संयुक्त सचिव

1. सभी मंत्रालय और विभाग
2. महानिदेशक (श्रम कल्याण)
3. सीएलसी (सी)
4. सीएलएस-II